

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2016

विषय- ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु रोजगार अवकाश की अवधि को गणना में लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ए0सी0पी0 की व्यवस्था विषयक पूर्व निर्गत शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए निर्गत किये गये शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर, 2014 के प्रस्तर-1 (11) में यह प्रावधान किया गया है कि ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन हेतु नियमित संतोषजनक सेवा की गणना में प्रतिनियुक्ति/वाह्य सेवा, अध्ययन अवकाश तथा सक्षम स्तर से स्वीकृत सभी प्रकार के अवकाश की अवधि को सम्मिलित किया जायेगा। ए0सी0पी0 की अनुमन्यता हेतु रोजगार अवकाश की अवधि को सेवाकाल की गणना में नहीं लिया जायेगा।

2- शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 में रोजगार अवकाश को गणना में न लिये जाने का स्पष्ट उल्लेख न होने की स्थिति एवं कतिपय मामलों में रोजगार अवकाश को गणना में लिये जाने हेतु दी गयी सहमति के आधार पर इस अवकाश को गणना में लेते हुए वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत किया गया है। उक्त शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर, 2014 द्वारा उपर्युक्त प्रस्तर-1 (11) की व्यवस्था के फलस्वरूप उन्हें रोजगार अवकाश की अवधि को गणना में लेते हुए ए0सी0पी0 का आगे लाभ देय नहीं रह गया है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक क्षति हो रही है।

3- उक्त स्थिति के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर 2014 के प्रस्तर-1 (11) में उल्लिखित "ए0सी0पी0 की अनुमन्यता हेतु रोजगार अवकाश की अवधि को सेवाकाल की गणना में नहीं लिया जायेगा।" को विलुप्त मानते हुए उसके नीचे परन्तुक के रूप में निम्न व्यवस्था जोड़े जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

"ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत सम्बन्धित कार्मिक की रोजगार अवकाश की अवधि में नियमानुसार वित्तीय स्तरोन्नयन की देयता होने पर उसे देय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देयता की तिथि से काल्पनिक रूप से अनुमन्य कराते हुए वास्तविक लाभ रोजगार अवकाश से वापस आने की तिथि से इस प्रतिबन्ध के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अधीन देय होगा कि अवकाश उपभोग करने वाले कार्मिक द्वारा इस आशय का अण्डरटेकिंग दे दिया गया हो कि उसे रोजगार से हुई वित्तीय आय रोजगार पर न जाने एवं सेवारत रहते प्राप्त होने वाली आय से कम रही है।"

4- शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2014 के प्रस्तर-1 (11) की व्यवस्था को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। उक्त शासनादेश की शेष व्यवस्थायें पूर्ववत् लागू रहेगीं।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-22/2016/वे0आ0-2-282(1)/दस-62(एम)/2008टी0सी0, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी-। एवं ।। तथा आडिट- । एवं ।।, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
- 3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 4- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 6- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग/इरला चेक अनुभाग।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।